

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

वापसी अधिसूचना

अधिसूचना सं0-14 डी0 एल0 ए0 रोह (राष्ट्रीय उच्च पथ)-46/2011-680 दिनांक 20.03.2012 का प्रकाशन रोहतास जिला जगट के अंक सं0-21 में पृष्ठ सं0 59 पर 0.7475 एकड़ भू-अर्जन हेतु प्रकाशन हुआ है। तथा अधिघोषणा सं0-14 डी0 एल0 ए0 रोह (राष्ट्रीय उच्च पथ)-46/2011-689 दिनांक 21.03.2012 का प्रकाशन रोहतास जिला जगट के अंक सं0-25 में दिनांक 25.05.2012 को हुआ है। निम्नांकित खेसरो में से निम्न रकबा को भू-अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 48(क) अन्तर्गत ग्राम-ओराप, थाना नं0-683, थाना-विक्रमगंज, अंचल-काराकाट, जिला रोहतास में भू-अर्जन से वापस लिया जाता है।

क्र0	खेसरा	रकबा
सं0	सं0	एकड़ में।
1	815	0.085
2	817	0.0825
3	818	0.005
4	825	0.0633
5	828	0.0331
6	830	0.0125
7	831	0.0075
8	860	0.025
9	862	0.005
10	863	0.0153
11	864	0.0125
12	865	0.02
13	866	0.0225
14	874	0.0301
15	875	0.005
16	877	0.0102
Total		0.4345

6/23/11/12
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

अपर समाहर्ता
रोहतास, सासाराम।

समाहर्ता
रोहतास, सासाराम।

बिहार राजपत्र के माध्यम से

261-

साकार के उपर लक्षित

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रोहतास को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, रोहतास को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रोहतास को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रोहतास को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक रोहतास को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।